[2021] 11 एस. सी. आर. 97

रत्नम सुदेश अय्यर

बनाम

जैकी काकूभाई श्राफ

(2021 की सिविल अपील संख्या 6112)

10 नवंबर, 2021

[संजय किशन कौल और एम. एम. सुंदरेश, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एस. 34 - अलग रखा जा रहा है

मध्यस्थता पुरस्कार-अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवाद

शेयर की बिक्री के संबंध में-अपीलार्थी के खिलाफ पुलिस के समक्ष प्रतिवादी द्वारा शिकायत-पक्षकारों ने निपटान विलेख में प्रवेश किया

जिसके तहत प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के खिलाफ सभी शिकायतें वापस लेनी थीं और किसी भी व्यक्ति को शिकायत लिखने से मना किया गया था विलेख के बारे में और बदले में शिकायतों की वापसी तक एस्क्रो में रखे गए 15 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया जाना था; और कंपनी के शेयरों की बिक्री से प्राप्त आय में से 20 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान प्रतिवादी को किया जाना था-प्रतिवादी की पत्नी द्वारा भेजे गए ई-मेल के माध्यम से निपटान विलेख का उल्लंघन-मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत-एस्क्रो एजेंट को 15 लाख अमेरिकी डॉलर का चेक तब तक नहीं सौंपने का निर्देश जब तक कि

मध्यस्थ का निर्देश-इस बीच शेयर खरीद समझौते का निष्पादन और शेयर बेचे गए-अंतिम पुरस्कार के पक्ष में 15 लाख अमेरिकी डॉलर का परिसमापन हर्जाना प्रदान करते हुए पारित किया गया

अपीलार्थी; और यह कि प्रत्यर्थी एस्क्रो में रखे गए 20 लाख अमेरिकी डॉलर के दूसरे चेक का हकदार नहीं होगा-याचिका यू/एस। 34 - एकल न्यायाधीश और खंड पीठ दोनों ने पुरस्कार को दरकिनार कर दिया -

अपील की गई: अपीलार्थी सिंगापुर में स्थित एक पक्ष है, इस प्रकार, मध्यस्थता हालांकि देश के भीतर की जाती है, एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता होगी-2015 से पहले की कानूनी स्थिति एस के बाद से प्रबल होगी। 34 2015 के संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद से ही कार्यवाही शुरू हो चुकी थी-एक आम तौर पर शब्दबद्ध खंड, निपटान विलेख के खंड 9 को कानून के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए एक समझौते का गठन करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। 34 कार्यवाही एक खंड के सामान्य वाक्यांश विज्ञान के अधीन थी जो अधिनियम में किसी भी संशोधन को शामिल करने का प्रयास करता है, जांच के दायरे का विस्तार करने के लिए इसका लाभ नहीं उठाया जा सकेगा क्योंकि यह एस के विधायी इरादे के विपरीत चलता प्रतीत होगा। 26 संशोधन अधिनियम -

जरूर

ी

निपटान विलेख की शर्तें पूरी हुईं-इसका प्रभाव

97 [2021]

11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुरस्कार प्रत्यर्थी को शेयरों के उचित मूल्यांकन और अपनी शिकायतों को समाप्त करने के लिए उसे जो भुगतान किया गया था, उससे वंचित करने के लिए होगा-प्रत्यर्थी को उसकी पत्नी द्वारा इस तरह के अंधाधुंध ई-मेल के कारण उसके बकाया से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो न तो कार्यवाही में पक्षकार थी और न ही निपटान विलेख में पक्षकार थी-मध्यस्थ के निष्कर्ष भारतीय कानून की मौलिक नीति के अनुसार नहीं थे, और इस प्रकार एस की 2015 से पहले की व्याख्या के तहत अलग रखा जा सकता है। 34 चूँकि परिणाम इतने अनुचित हैं, दोनों

उच्च न्यायालयों ने राय दी कि संशोधन से पहले या बाद में जो भी स्थिति लागू हो, इन तथ्यों में यह निर्णय लागू नहीं होगा।

इसे बरकरार रखा गया है-मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना: 1.1 स्वीकार की गई स्थिति यह है कि अपीलार्थी सिंगापुर में स्थित एक पक्ष है और इस प्रकार, "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" की उक्त परिभाषा के संदर्भ में। 2 (1) (च) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 का, यद्यपि मध्यस्थता

देश के भीतर किया जाने वाला एक "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" होगा। यह किसी का मामला नहीं है कि विचाराधीन पुरस्कार उक्त अधिनियम के भाग II धारा 44 के अर्थ के भीतर एक विदेशी पुरस्कार है। घरेलू पुरस्कारों के लिए, उक्त अधिनियम का अध्याय 7 मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ सहारा प्रदान करता है। की धारा 34 उक्त अध्याय एक मध्यस्थ पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन का प्रावधान करता है और इसके लिए उपलब्ध आधार को निर्दिष्ट करता है।

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015

उक्त अधिनियम डब्ल्यू. ई. एफ. 23.10.2015 में संशोधन किया गया; अन्य बातों के साथ-साथ उक्त अधिनियम की धारा 34 (2) में स्पष्टीकरण डालने के साथ-साथ धारा 34 में उप-धारा 2ए डाल कर। इसमें कोई संदेह नहीं है कि

न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप संशोधनों के लागू होने के साथ अधिक प्रतिबंधात्मक हो गया। [पैरा 12] [108-जी-एच; 109-ए-सी]

1.2 एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक से उत्पन्न होने वाले घरेलू पुरस्कार के बीच एक अंतर बनाने की कोशिश की जाती है।

मध्यस्थता और विशुद्ध रूप से घरेलू पुरस्कार। हस्तक्षेप के लिए परीक्षण को एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से उत्पन्न होने वाले घरेलू पुरस्कार के संबंध में संशोधन द्वारा और अधिक कठोर बनाने की मांग की गई थी।

वाणिज्यिक मध्यस्थता। विशुद्ध रूप से घरेलू पुरस्कारों और मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले पुरस्कारों के बीच अंतर करने की कोशिश की जाती है-रत्नम सुदेश बनाम।

जैकी काकूभाई श्राफ

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं के अलावा, जैसा कि में निर्धारित किया गया है

उक्त Act.The की धारा 34 की उप-धारा 2A का सार यह है कि जबकि पुरस्कार की याचिका को पेटेंट अवैधता द्वारा दूषित किया जा रहा है।

एक मध्यस्थता पुरस्कार के लिए उपलब्ध है, ऐसा पुरस्कार विशुद्ध रूप से एक घरेलू पुरस्कार होना चाहिए, यानी पेटेंट अवैधता की याचिका एक पुरस्कार के लिए उपलब्ध नहीं है जो संशोधन के बाद अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से उत्पन्न होती है। एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के निर्णयों ने इस भेद को ध्यान में रखे बिना पेटेंट अवैधता की याचिका पर पुरस्कार को चुनौती देने का फैसला किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों निर्णय इस आधार पर आगे बढ़े कि किसी भी स्थिति में, अर्थात,

विशुद्ध रूप से घरेलू पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले घरेलू पुरस्कार के लिए उपलब्ध परीक्षण के भीतर;

पुरस्कार को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। जहाँ तक पुरस्कार की प्रकृति का संबंध है। [पैरा 13,16-18] [109-D; 110-A, C-E] 2.1 अपीलार्थी का कहना है कि संशोधन के बाद के परिदृश्य में पुरस्कार की जांच की जानी चाहिए और इस प्रकार, दोनों

में लागू परीक्षण को लागू करके नीचे दिए गए मंच त्रुटि में पड़ गए संशोधन पूर्व परिदृश्य। इस प्रकार, अपीलार्थी का कहना है कि पेटेंट अवैधता का प्रश्नगत पुरस्कार के परीक्षण के रूप में कोई

आवेदन नहीं है। यह विवाद में नहीं है कि धारा 34 की कार्यवाही 23.10.2015 से पहले शुरू हुई थी, जो कि महत्वपूर्ण तिथि है। संशोधन कब लागू होगा, यह एक ऐसा पहलू है जो अब एकीकृत नहीं है।

[पैरा 19,20] [110-एफ-जी]

2.2 यह मामला पुरस्कार को रद्द करने के लिए धारा 34 की कार्यवाही से संबंधित है। इस मामले में, धारा 34 की कार्यवाही थी 2015 का संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अदालती कार्यवाही पहले से ही पूर्व के अधीन थी

कि धारा 34 कार्यवाही के अधीन थी। [पैरा 30] [113 ई-जी] 2.3 सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के मामले में तर्क की रेखा ही यह दर्शाती है कि कानून में किसी भी अनिश्चितता को रोकने के लिए, कानून को सीमित करने के लिए ठीक करने की मांग करते हुए

विधायिका द्वारा लिए गए पुरस्कारों में हस्तक्षेप का दायरा केवल लागू होने की तारीख से ही संशोधनों को लागू करने का सचेत निर्णय। इस प्रकार, एक [2021] 11 एस. सी. आर. का सामान्य वाक्यांश।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खंड जो अधिनियम में किसी भी संशोधन को शामिल करने का प्रयास करता है, उसका उपयोग जांच के दायरे को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकेगा क्योंकि यह धारा के विधायी इरादे के विपरीत चलता प्रतीत होगा।

26 संशोधन अधिनियम। [पैरा 31] [114-जी; 115-ए-बी] 3.1 यह 2015 से पहले की कानूनी स्थिति होगी जो प्रबल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्यस्थ को साक्षय दर्ज करने और तथ्यात्मक परिदृश्य की जांच करने का प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। तत्काल मामला वह है जो पूरी तरह से एक विवाद की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक खंड की व्याख्या पर आधारित है जिसने निपटान विलेख को जन्म दिया। संबंधित खंड इस बात पर जोर देते हैं कि प्रतिवादी को निपटान विलेख के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए विवाद में अपनी स्थिति से कुछ कदम पीछे हटने की आवश्यकता थी। [पैरा 32,33] [116]

जी-एच; 117-ए-बी]

3.2 इस तरह का पहला कदम अपीलार्थी और अन्य सभी नामित और अनाम लोगों के खिलाफ सभी शिकायतों और कार्यवाही को वापस लेना था। ईओडब्ल्यू से पहले के लोग। प्रत्यर्थी ने इसका पालन किया और ऐसी सभी कार्यवाहियों को समाप्त कर दिया गया। 15 लाख अमेरिकी डॉलर एस्क्रो में

रखे गए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कार्यवाही समाप्त हो जाए और उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने पर एस्क्रो राशि प्रतिवादी को जारी की जानी थी। [पैरा 34] [117-बी-सी]

3.3 दूसरा चरण शेयरों की बिक्री का था और जब शेयर बेचे जाते थे तो 20 लाख अमेरिकी डॉलर की एस्क्रो राशि का भुगतान प्रत्यर्थी को किया जाना था। ऐसा प्रतीत होता है कि शेयरों की बिक्री में कुछ देरी हुई थी, जिस पर प्रत्यर्थी की पत्नी ने आपत्ति जताई थी और अपीलार्थी ने दावा किया कि उसे जल्दी बिक्री में नहीं धकेला जा सकता था। जो भी हो, बिक्री हुई। इस प्रकार, निपटान विलेख की आवश्यक शर्तें पूरी हो गईं। खंड 6 में प्रतिवादी के अभ्यावेदन/आश्वासन गलत या गलत होने की स्थिति में 15 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि की वापसी का प्रावधान किया गया है। बात ऐसी नहीं थी। प्रत्यर्थी द्वारा अपनी देय राशि से इनकार करने के कारण के रूप में अपीलार्थी द्वारा जिस एकमात्र पहलू पर जोर दिया गया है, वह है उसकी पत्नी द्वारा भेजे गए दो ई-मेल। हालाँकि पत्नी को शुरू में उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत कार्यवाही में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में उसे मध्यस्थता कार्यवाही से हटा दिया गया क्योंकि वह समझौते में पक्षकार नहीं थी।

जैकी काकूभाई श्राफ

यह स्वीकार किया कि प्रतिवादी की पत्नी की कोई भूमिका नहीं थी और प्रतिवादी को उसके आचरण के लिए दंडित नहीं किया जा सकता था। [पैरा 35] [117-सी-जी] 3.4 निम्नलिखित न्यायालयों के साथ जो बात मायने रखती है वह यह है कि प्रत्यर्थी ने अपनी पत्नी के ई-मेल की पुष्टि करने के लिए कुछ नहीं किया। इसका प्रभाव

पुरस्कार का लाभ प्रत्यर्थी को शेयरों के उचित मूल्यांकन और उसकी शिकायतों को समाप्त करने के लिए उसे दिए गए भुगतान से वंचित करना होगा। पत्नी की शिकायतें किसी अविवेकपूर्ण भाषा की श्रेणी में आती हैं। 09.06.2011 दिनांकित ई-मेल अपीलार्थी को इस बारे में शिकायत करता है कि सौदे की अवधि पत्रक पर हस्ताक्षर किए जाने के बारे में सूचित नहीं किया जा रहा है और इस अभिव्यक्ति का उपयोग करता है कि अपीलार्थी "हमारे साथ सीधे" नहीं था। इस पर शायद ही कोई आपत्ति कर सकता है। बेशक, यह उनके सहयोगियों को प्रसारित किया गया था लेकिन ई-मेल को शायद ही कहा जा सकता है।

नुकसान पहुँचाता है। 15.06.2011 दिनांकित ई-मेल में एक बार फिर अद्यतन जानकारी नहीं दिए जाने की शिकायत की गई है। निश्चित रूप से, वाक्य "मुझे जालसाजी के साथ दोस्ती करने की कोई इच्छा नहीं है"। इसे पूरी तरह से अनुचित कहा जाना चाहिए। लेकिन फिर, वह केवल अपनी पत्नी द्वारा इस तरह के अंधाधुंध ई-मेल के कारण प्रत्यर्थी को अपने बकाया से इनकार नहीं कर सकता है, जो कार्यवाही में पक्षकार भी नहीं थी और न ही समझौते के विलेख में पक्षकार थी जिसमें मध्यस्थता खंड शामिल था। यह उक्त संदर्भ में है कि विवादित आदेश दिए गए थे और एकल न्यायाधीश के आदेश के पैरा 23 में संक्षिप्त रूप से निर्धारित किया गया था कि पुरस्कार के परिणाम के परिणाम क्या होंगे। [पैरा 36,37] [117-जी-एच; 118-ए-डी]

3.5 उक्त परिदृश्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और यह वही है जो पुरस्कार में हस्तक्षेप के लिए जिम्मेदार रहा है

संशोधन से पहले पुरस्कार पर लागू कानूनी स्थिति के संदर्भ में मध्यस्थ। मध्यस्थ के निष्कर्ष भारतीय कानून की मौलिक नीति के अनुसार नहीं हैं, और इस प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 34 की 2015 से पहले की व्याख्या के तहत अलग रखे जा सकते हैं। अपीलार्थी के पक्ष में परिसमापन हर्जाना देने के लिए निपटान विलेख के खंड 6 पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, इस संबंध में एकल न्यायाधीश और खंड पीठ की टिप्पणियों को स्वीकार किया जाता है। वास्तव में, परिणाम हैं इतना अनुचित है कि यही कारण प्रतीत होता है कि एकल न्यायाधीश और खंड पीठ दोनों ने राय दी है कि [2021] 11 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो भी पद पहले से लागू हो या

संशोधन, इन तथ्यों में पुरस्कार खड़ा नहीं होगा, यह है [पैरा 38] [119-बी-डी]

एबीबी इंडिया लिमिटेड बनाम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ओ. एम. पी.

(टी) (कॉम) No.48/2020 स्वीकृत।

सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वी. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) (2019)

15 एससीसी 131: [2019] 7 एस. सी. आर. 522-- पर निर्भर था।

एसोसिएटेड बिल्डर्स बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण (2015) 3 एससीसी 49: [2014] 13 एस. सी. आर. 895; भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाम कोच्चि क्रिकेट प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। (2018) 6 एस. सी. सी. 287 [2018] 2 एस. सी. आर. 829; हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और अन्र। वी. भारत संघ और अन्य। (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन 1520; थिसेन स्टालुनियन जी. एम. बी. एच. बनाम। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (1999) 9 एस. सी. सी. 334: [1999] 3 पूरक। एससीआर 461; पद्मिनी चंद्रन मेनन बनाम। विजय चंद्रन मेनन 7

(2018) 2 एयर बॉम आर 108; पॉट ऑफ मुंबई का न्यासी मंडल बनाम। एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (2016) एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 10037; एस. पी. सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्रा. लिमिटेड वी. हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्र। (2019) 2 एससीसी 488: [2018] 14 एस. सी. आर. 1005; भारत संघ बनाम। परमार

निर्माण कंपनी (2019) 15 एस. सी. सी. 682: [2019] 5

एस. सी. आर. 1009-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 13 एससीआर 895

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

[2018] 2 एससीआर 829

2 को संदर्भित 2 को संदर्भित 2

पैरा 21

[1999] 3 पूरक। एससीआर 461

पैरा 27

[2018] 14 एससीआर 1005

पैरा 29

[2019] 5 एससीआर 1009

संदर्भित किया गया है

पैरा 30

[2019] 7 एससीआर 522

पर भरोसा किया।

पैरा 31 रत्नम सुदेश आयर बनाम। जैकी काकूभाई श्राफ

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 6112

2021 .

2020 की मध्यस्थता अपील (एल) संख्या 4901 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 20.04.2021 से

2015 की मध्यस्थता याचिका सं. 167।

विशाल गांधी, डॉ. ललित भसीन, पी. वी. योगेश्वरन, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

सी. ए. सुंदरम, वरिष्ठ अधिवक्ता। , राहुल चिटनिस, आदित्य ए. पांडे, श्याम देवानी, चंदर शेखर अशरी, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल, जे।

1. व्यापारिक संघों में खटास आ सकती है और वर्तमान मामले में ऐसा ही हुआ है। यह एक और पहलू है कि यह संबंध समुद्र के पार था। हमसे पहले दोनों पक्ष एटलस इक्विफिन प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया नामक निवेश होल्डिंग कंपनी में शेयरधारक थे। ' एटलस ') जिसके पास मल्टी स्क्रीन मीडिया प्राइवेट में प्रत्येक के Rs.10 के 11,05,829 इक्विटी शेयर थे। लिमिटेड (संक्षेप में 'एमएसएम' के लिए)। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने

2002 से एमएसएम में शेयर बेचने का प्रयास कर रहा है। उक्त उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (संक्षेप में 'एस. सी. बी.') को अधिकृत करने वाले पक्षों द्वारा दिनांकित एक नियुक्ति निर्देश पर हस्ताक्षर किए गए थे।

प्रत्यर्थी ने कहा कि नियुक्ति निर्देशों पर उनके हस्ताक्षर जाली थे। तदनुसार, उन्होंने आर्थिक अपराधों में शिकायत दर्ज कराई अपीलार्थी और एस. सी. बी. दोनों के खिलाफ 19.04.2010 पर विंग, मुंबई पुलिस (संक्षेप में 'ई. ओ. डब्ल्यू.')।

2. ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच उस स्तर पर बेहतर समझ थी, या यदि कोई कहें कि वाणिज्यिक समझ; और उन्होंने दिनांकित निपटान विलेख में प्रवेश करके अपने विवादों को हल करने का प्रयास किया।

03.01.2011 . चूँकि वर्तमान कार्यवाहियों को निपटान विलेख से उभरने वाले पहलुओं पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, इसलिए इस स्तर पर इसके प्रासंगिक खंडों का सार निर्धारित करना उचित होगा।

ए। खंड 2 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी के खिलाफ दायर सभी शिकायतों और कार्यवाही को वापस ले लेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बी। खंड 3 ने प्रत्यर्थी को पत्र लिखने से मना किया,

निपटान विलेख की विषय वस्तु के बारे में किसी भी व्यक्ति को संचार या शिकायतें। उक्त खंड का अंतिम भाग इस प्रकार है:

" 3 ..... यह भी सहमति है कि भविष्य में जैकी किसी भी पुलिस प्राधिकरण या किसी अन्य न्यायिक, अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण या वैधानिक प्राधिकरण या किसी भी व्यक्ति या संस्था को इस विषय के बारे में शिकायत करने के लिए कोई पत्र या संचार या शिकायत नहीं लिखेंगे।

वर्तमान विलेख की बात "। (sic)

सी। शिकायतों को समाप्त करने के लिए प्रत्यर्थी को मौद्रिक प्रोत्साहन के रूप में, खंड 1.1 के अनुसार प्रत्यर्थी को 15 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि का भुगतान किया जाना था। यह राशि वीडियो

बैंकर का चेक मेसर्स द्वारा एस्क्रो में रखा जाना था। डी. एम.

हरीश एंड कंपनी, उत्तरदाता को सौंप दिया जाएगा

ई. ओ. डब्ल्यू. द्वारा अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19.04.2010 की अपनी शिकायत वापस लेने की पुष्टि। प्रतिवादी भी था

यह सुनिश्चित करने के लिए आगे आश्वासन देने की आवश्यकता है कि यदि कोई रद्द करने की कार्यवाही शुरू की जाती है, तो वह उसमें सहयोग करेगा।

डी। खंड 4 के अनुसार, आय की प्राप्ति के सात (7) दिनों के भीतर प्रतिवादी को 20 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया जाना था।

एमएसएम के शेयरों की बिक्री से।

ई. प्रतिवादी को खंड 6 में समझौते के विलेख का कोई भी उल्लंघन करने के लिए शर्तों पर रखा गया था, जिसका परिणाम था

जो निपटान विलेख की समाप्ति होगी और एस्क्रो में रखे गए 15 लाख अमेरिकी डॉलर को वापस जारी किया जाएगा

अपीलार्थी।

एफ. निपटान विलेख में खंड 9 में विवादों के समाधान के लिए एक मध्यस्थता खंड शामिल था। उक्त खंड इस प्रकार है -

इसके अंतर्गत:

" 9. यदि इस विलेख के किसी प्रावधान के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद को संदर्भित किया जाएगा। पारस्परिक सहमति से नियुक्त किए जाने वाले एकल मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता। मध्यस्थता कार्यवाही भारत के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या किसी अन्य अधिनियम द्वारा शासित होगी।

उसमें संशोधन करें। मुंबई के न्यायालयों के पास इस विलेख से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही के संबंध में अधिकार क्षेत्र होगा। रत्नम सुदेश अय्यर बनाम।

जैकी काकूभाई श्राफ [संजय किशन कौल, जे.]

मध्यस्थता के लिए ट्रिगर;

3. अपीलार्थी ने उपरोक्त विलेख के उल्लंघन का दावा किया

प्रत्यर्थी की पत्नी से 09.06.2011 दिनांकित एक ई-मेल द्वारा निपटान अपीलार्थी को सूचित करता है कि "... एक बार फिर आप हमारे साथ सीधे नहीं हो रहे हैं, और मैं इसके बारे में चिंतित हूं।" इस ई-मेल की प्रति उनके कुछ सहयोगियों को चिह्नित की गई थी। इसे पहला उल्लंघन बताया गया था। दूसरा उल्लंघन प्रतिवादी की पत्नी द्वारा एक बार फिर 15.06.2011 दिनांकित एक और ई-मेल था। ईमेल में कहा गया है कि "मुझे जालसाजी के साथ दोस्ती जारी रखने की कोई इच्छा नहीं है।" इसके बाद ई-मेल में निपटान विलेख और प्रत्यर्थी को अद्यतन जानकारी नहीं देने में अपीलार्थी की कथित विफलता का उल्लेख करने की मांग की गई। यह ई-मेल उनके सहयोगियों को भी भेजा गया था। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी से पूछने पर

30.06.2011 20 लाख अमेरिकी डॉलर के दूसरे एस्क्रो चेक को जारी करने के लिए शेयरों की बिक्री को पूरा करने के लिए, अपीलार्थी ने उसी दिन यह कहते हुए जवाब दिया कि प्रतिवादी उसे बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। अपीलार्थी ने 15.06.2011 पर झूठे और मानहानिकारक ई-मेल द्वारा निपटान विलेख के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। इसने मध्यस्थता खंड का सहारा लिया।

के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही और अदालती कार्यवाही

मध्यस्थता कार्यवाही:

5. अपीलार्थी ने मध्यस्थ के समक्ष 15 लाख अमेरिकी डॉलर की वापसी की मांग करते हुए दावा दायर किया। 8. 49 करोड़) 18 प्रतिशत ब्याज के साथ। वर्ष डब्ल्यू. ई. एफ. 07.07.2011 भुगतान की तारीख तक। निम्नलिखित शर्तों में मध्यस्थ दिनांक 2.11.2012 के समक्ष दावे का एक बयान दायर किया गया था:

" 52. इसलिए दावेदार प्रार्थना करता है:

(क) कि यह माननीय न्यायाधिकरण यह अभिनिर्धारित करने और घोषणा करने के लिए प्रसन्न हो कि प्रत्यर्थी ने दिनांकित निपटान विलेख का उल्लंघन किया है।

3 जनवरी, 2011 और दावेदार की मेहनत से अर्जित प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया और नुकसान पहुंचाया। (ख) कि यह माननीय न्यायाधिकरण यह अभिनिर्धारित और घोषित करता है कि प्रत्यर्थी द्वारा उक्त विलेख के उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी ने दावेदार को नुकसान पहुंचाया है जैसा कि दावे के विवरण में कहा गया है या ऐसी राशि जिसे यह माननीय न्यायाधिकरण न्यायसंगत और उचित समझे;

(ग) कि यह माननीय न्यायाधिकरण दावेदार को क्षतिपूर्ति करने और दावे के विवरण (अनुलग्नक "एस") में बताए गए नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदाता को आदेश और निर्देश देने के लिए प्रसन्न हो या ऐसी राशि जिसे यह माननीय न्यायाधिकरण उस पर ब्याज के साथ न्यायसंगत और उचित समझे जैसा कि दावे के विवरण में कहा गया है;

(घ) कि यह माननीय न्यायाधिकरण आदेश और निर्देश देता है कि प्रत्यर्थी दावेदार को 15 लाख अमेरिकी डॉलर या 8 करोड़ 49 लाख भारतीय रुपये की राशि तुरंत ब्याज के साथ 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 7 जुलाई, 2011 से दावेदार को प्रत्यर्थी द्वारा भुगतान की तारीख तक वापस कर दे।

(ङ) कि यह माननीय न्यायाधिकरण आदेश और निर्देश देने के लिए प्रसन्न हो कि प्रतिवादी को स्वयं अपने अधिकारियों, सेवकों और एजेंटों को इस माननीय के आदेश और स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिबंधित किया जाए। न्यायाधिकरण को एस्क्रो एजेंट से दूसरे चेक को जारी करने और/या भुनाने की मांग करने से और दावेदार को एस्क्रो एजेंट या एस्क्रो एजेंट से दूसरे चेक को अपने कब्जे में लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाए और दूसरा चेक दावेदार को सौंपने का आदेश दिया जाए।

(च) कि यह माननीय न्यायाधिकरण आदेश और निर्देश देने के लिए प्रसन्न हो कि प्रत्यर्थी को स्वयं अपने अधिकारियों, सेवकों और एजेंटों द्वारा इस माननीय न्यायाधिकरण के एक आदेश और स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा दावेदार के खिलाफ कोई भी गलत, आधारहीन और मानहानिकारक बयान देने से रोका जाए। (छ) इस दावे की लागत के लिए; और रत्नम सुदेश आयर v.

जैकी काकूभाई श्राफ [संजय किशन कौल, जे.]

(ज) प्रकृति और इस तरह के आगे और अन्य राहतों के लिए मामले की परिस्थितियों की आवश्यकता हो सकती है और माननीय न्यायाधिकरण

ठीक लगता है "।

6. प्रत्यर्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 16 का सहारा लेने की मांग की, जिसमें संदर्भ के खिलाफ अधिकार क्षेत्र में चुनौती देने की मांग की गई, हालांकि मध्यस्थ ने 17.01.2013 पर राय दी कि अपीलार्थी के दावे की एक सीमा अस्वीकृति नहीं हो सकती है। इसके बाद प्रतिवादी द्वारा कार्यवाही का विरोध किया गया।

7. यह ध्यान दिया जा सकता है कि एम. एस. एम. के शेयर मार्च, 2013 में बेचे गए थे और 06.04.2013 पर एटलस ने इसके शेयरों को लाभांश घोषित और भुगतान किया था।

आय से शेयरधारक। इसके तुरंत बाद अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 17 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें 15 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि कुर्क करने की मांग की गई थी, जिसे प्रतिवादी को उक्त आय के अपने हिस्से के रूप में प्राप्त करना था। उस आवेदन को खारिज कर दिया गया और उसी के संबंध में आगे की कार्यवाही का भी उच्च न्यायालय में वही परिणाम हुआ। यह स्थिति होने के कारण, प्रत्यर्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत एक याचिका दायर की जिसमें एस्क्रो एजेंट को सौंपने का निर्देश देने की मांग की गई। एमएसएम के शेयरों की बिक्री के कारण 20 लाख अमेरिकी डॉलर। हालाँकि, इसे अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अपीलकर्ता भुगतान का विरोध कर रहा था और धनवापसी की मांग कर रहा था, और इसके खिलाफ अपील को वापस ले लिया गया था।

8. विद्वत मध्यस्थ ने निपटान विलेख के खंड 6 में उल्लिखित अपीलार्थी के पक्ष में 15 लाख अमेरिकी डॉलर के परिसमाप्त हर्जाने के दावे को स्वीकार करते हुए अंतिम निर्णय दिया। पुरस्कार में यह भी कहा गया कि प्रतिवादी निपटान विलेख के प्रतिवादी के उल्लंघन के कारण एस्क्रो में रखे गए 20 लाख अमेरिकी डॉलर के दूसरे चेक का हकदार नहीं होगा।

9. प्रत्यर्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत 24.01.2015 पर बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता याचिका के रूप में एक याचिका दायर की No.167/2015, जबकि अपीलार्थी ने पुरस्कार के निष्पादन के लिए आवेदन किया। नतीजतन, प्रतिवादी ने प्रवर्तन पर रोक लगाने के लिए भी आवेदन किया

पुरस्कार। 06.04.2018 पर अंतरिम रोक दी गई थी और इसके खिलाफ SLP को खारिज कर दिया गया था, जो 2018 का SLP नंबर 27085 था। विद्वान।

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दिनांकित 19.05.2020 निर्णय के संदर्भ में पुरस्कार को रद्द कर दिया। उक्त अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील को डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक

20.04.2021 के विवादित फैसले के संदर्भ में खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने [2021] 11 एस. सी. आर. भी प्रदान किए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक सीमित अवधि के लिए निपटान विलेख के तहत निर्दिष्ट राशि की निकासी के खिलाफ अंतरिम संरक्षण।

10. विशेष अनुमति याचिका में 02.08.2021 पर नोटिस जारी करते समय,

उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम व्यवस्था को बढ़ा दिया गया था और छुट्टी देने के बाद, 28.09.2021 पर दलीलें पूरी की गईं।

11. इन तथ्यों के संदर्भ में, हम सेटिंग की आवश्यकता महसूस करते हैं

कुछ कानूनी सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए जिनकी रूप-रेखा वर्तमान में

विवाद पर निर्णय लेने की आवश्यकता है।

मध्यस्थता कार्यवाही की प्रकृति:

12. हमारे सामने उठाए गए मुद्दों में से एक पुरस्कार की प्रकृति है।

अपीलार्थी दावा करता है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाला एक पुरस्कार है। इस तर्क को समझने के लिए हम उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (च) की ओर रुख करते हैं, जो निम्नानुसार है:

" 2. परिभाषाएँ। (1) इस भाग में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो,

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

(च) "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" का अर्थ है एक मध्यस्थता।

कानूनी संबंधों से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित, चाहे

संविदात्मक या नहीं, कानून के तहत वाणिज्यिक माना जाता है

भारत में बल और जहां कम से कम एक पक्ष है

भारत के अलावा अन्य देश; या
((ii) एक निगमित निकाय जो किसी अन्य देश में निगमित है।

भारत से; या

((ग) एक संघ या व्यक्तियों का एक निकाय जिसका केंद्र प्रबंधन और नियंत्रण का प्रयोग इसके अलावा किसी अन्य देश में किया जाता है।

((iv) किसी विदेशी देश की सरकार।
स्वीकृत स्थिति यह है कि अपीलार्थी एक पक्ष है जिसमें

सिंगापुर और इस प्रकार, उपरोक्त परिभाषा के संदर्भ में मध्यस्थता

यद्यपि इसे देश के भीतर किया जाता है, यह एक "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" होगी। हम इस स्तर पर देख सकते हैं कि यह किसी का मामला नहीं है कि विचाराधीन पुरस्कार रत्नम सुदेश आयर बनाम के अर्थ में एक विदेशी पुरस्कार है।

जैकी काकूभाई श्राफ [संजय किशन कौल, जे.]

उक्त अधिनियम की धारा 44 का भाग II। घरेलू पुरस्कारों के लिए, उक्त अधिनियम का अध्याय 7 मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ सहारा प्रदान करता है। उक्त अध्याय की धारा 34 मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन का प्रावधान करती है और इसके लिए उपलब्ध आधार को निर्दिष्ट करती है। मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 (संक्षेप में '2015 संशोधन अधिनियम') ने उक्त अधिनियम डब्ल्यू. ई. एफ. में संशोधन किया। अन्य बातों के साथ-साथ सम्मिलित करके

उक्त अधिनियम की धारा 34 (2) के साथ-साथ धारा 34 में उप-धारा 2ए को सम्मिलित करके स्पष्टीकरण। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का दायरा संशोधनों के लागू होने के साथ अधिक प्रतिबंधात्मक हो गया। "भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में" अभिव्यक्ति के संबंध में पूर्व-संशोधन स्थिति को इस न्यायालय द्वारा सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड v. में स्पष्ट किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन. एच. ए. आई.) ', जिसने एसोसिएटेड बिल्डर्स बनाम में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया। दिल्ली विकास प्राधिकरण 2.

13. एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले घरेलू पुरस्कार और विशुद्ध रूप से मध्यस्थता के बीच एक अंतर बनाने की कोशिश की जाती है।

घरेलू पुरस्कार। हस्तक्षेप के लिए परीक्षण को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले घरेलू निर्णय के संबंध में संशोधन द्वारा और अधिक कठोर बनाने की मांग की गई थी। 14. हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि स्पष्टीकरण 1 ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि "भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव" का क्या अर्थ है, इसे नीचे दिए गए तीन पहलुओं तक सीमित करके:

" स्पष्टीकरण 1. - किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि

एक पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के साथ संघर्ष में है, केवल अगर,

(i) पुरस्कार का निर्माण धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था या धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन था; या ((ख) यह भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन है; या

((ग) यह नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव में है।

15. आगे की व्याख्या स्पष्टीकरण 2 द्वारा की गई है, जो इस प्रकार है -

इसके अंतर्गत:

" स्पष्टीकरण 2. - संदेह से बचने के लिए, यह परीक्षण कि क्या भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन हुआ है

विवाद के गुण-दोष पर समीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी।

1 (2019) 15 एससीसी 131।

2 (2015) 3 एस. सी. सी 49.

16. विशुद्ध रूप से घरेलू पुरस्कारों और अंतर्राष्ट्रीय के अलावा अन्य मध्यस्थताओं से उत्पन्न होने वाले पुरस्कारों के बीच अंतर करने की मांग की जाती है।

वाणिज्यिक मध्यस्थता, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा 2 ए में निर्धारित किया गया है, जो निम्नानुसार है:

" (2ए) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं के अलावा अन्य मध्यस्थताओं से उत्पन्न होने वाले मध्यस्थता पुरस्कार को भी न्यायालय द्वारा दरकिनार किया जा सकता है, यदि न्यायालय को पता चलता है कि पुरस्कार पेटेंट द्वारा दूषित है।

पुरस्कार के चेहरे पर दिखाई देने वाली अवैधता:

बशर्ते कि कोई पुरस्कार केवल आधार पर अलग नहीं रखा जाएगा कानून के गलत अनुप्रयोग या के पुनर्मूल्यांकन द्वारा

सबूत "।

17. उपरोक्त का सार यह है कि पेटेंट अवैधता द्वारा दूषित किए जाने वाले पुरस्कार की याचिका मध्यस्थता पुरस्कार के लिए उपलब्ध है, जैसे कि

एक पुरस्कार विशुद्ध रूप से एक घरेलू पुरस्कार होना चाहिए, यानी पेटेंट अवैधता की याचिका एक पुरस्कार के लिए उपलब्ध नहीं है जो संशोधन के बाद अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से उत्पन्न होती है।

18. हम उपरोक्त अंतर को देख रहे हैं क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के निर्णय निर्णय लेते हैं।

इस भेद को ध्यान में रखे बिना पेटेंट अवैधता के अनुरोध पर पुरस्कार को चुनौती। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों निर्णय इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि किसी भी स्थिति में, यानी विशुद्ध रूप से घरेलू पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले घरेलू पुरस्कार के लिए उपलब्ध परीक्षण के भीतर; पुरस्कार को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। जहाँ तक पुरस्कार की प्रकृति का संबंध है।

क्या संशोधन वर्तमान के तथ्यों में लागू होगा

मामला:

19. अपीलार्थी का कहना है कि संशोधन के बाद के परिदृश्य में पुरस्कार की जांच की जानी चाहिए और इस प्रकार, नीचे दिए गए दोनों मंच गिर गए।

संशोधन-पूर्व परिदृश्य में लागू परीक्षण को लागू करने में त्रुटि हुई। इस प्रकार, अपीलार्थी का कहना है कि पेटेंट अवैधता का प्रश्नगत पुरस्कार के परीक्षण के रूप में कोई आवेदन नहीं है।

20. यह विवाद में नहीं है कि धारा 34 की कार्यवाही 23.10.2015 से पहले शुरू हुई थी, जो कि महत्वपूर्ण तिथि है। संशोधन कब लागू होगा, यह एक ऐसा पहलू है जो अब एकीकृत नहीं है। हम इस संबंध में प्रासंगिक न्यायिक घोषणाओं का उल्लेख कर सकते हैं।

रत्नम सुदेश अय्यर बनाम। जैकी काकूभाई श्राफ [संजय किशन कौल, जे.]

21. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाम कोच्चि क्रिकेट प्रा. लिमिटेड & Ors.[3] 2015 के संशोधन अधिनियम की धारा 26 का संदर्भ दिया गया था जिसने कार्यवाही को मध्यस्थता में विभाजित कर दिया था।

कार्यवाही और अदालती कार्यवाही। उक्त प्रावधान इस प्रकार है:

" 26. इस अधिनियम में निहित कुछ भी इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले मूल अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होगा, जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमत न हों, लेकिन यह अधिनियम उस तारीख को या उसके बाद शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू होगा।

इस अधिनियम के प्रारंभ से "।

22. फैसले के पैरा 39 में यह स्पष्ट किया गया था कि 2015 के संशोधन अधिनियम की धारा 26 के पहले भाग के पीछे का कारण

नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाना केवल यह कहने के लिए था कि संशोधन अधिनियम संशोधन से पहले शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर भी लागू होगा यदि पक्ष अन्यथा सहमत हों। दूसरे भाग में ऐसा नहीं है। निर्णय से पता चला कि विधायिका का इरादा यह था कि 2015 का संशोधन अधिनियम संभावित प्रकृति का है और यह उन मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा जो 2015 के संशोधन अधिनियम पर या उसके बाद शुरू की गई हैं, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 21 द्वारा समझा गया है, और अदालती कार्यवाही जो 2015 के संशोधन अधिनियम के लागू होने पर या उसके बाद शुरू हुई थी।

24. हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. के बाद के फैसले में। वी. भारत संघ और Ors.5, यह पैरा 60 में देखा गया था कि बी. सी. सी. आई. के फैसले का परिणाम यह था कि 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन 23.10.2015 के बाद शुरू की गई सभी अदालती कार्यवाही पर लागू होंगे।

3 3 (2018) 6 एससीसी 287। 4 (2019) 15 एससीसी 131। 5 2019 एससीसी ऑनलाइन 1520।

समझौता, जिसमें प्रावधान है कि "मध्यस्थता कार्यवाही भारत के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी संशोधन द्वारा शासित होगी।" (जोर दिया गया)। इस प्रकार निवेदन यह था

कि खंड 9 के इस वाक्यांश में उक्त अधिनियम में भविष्य में किसी भी संशोधन को विचाराधीन मध्यस्थता पर लागू किए जाने की संभावना शामिल थी। 26. इस प्रकार हमें मध्यस्थता खंड में उपयोग किए गए ऐसे वाक्यांशों के प्रभाव की जांच करनी होगी।

28. हालांकि, कई न्यायिक घोषणाओं को देखते हुए उपरोक्त सामान्य टिप्पणियां अपीलार्थी की सहायता के लिए नहीं आ सकती हैं। इस न्यायालय द्वारा जो एक समान मुद्दे से निपटता है।

7 1 (2018) 2 एयर बम आर 108। 8 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 10037। 9 (2019) 2 एससीसी 488।

रत्नम सुदेश अय्यर बनाम। जैकी काकूभाई श्राफ [संजय किशन कौल, जे.]

30. इसी प्रकार, भारत संघ बनाम में मध्यस्थता खंड। परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी ने प्रावधान किया कि "प्रावधानों के अधीन उपरोक्त मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और उसके तहत नियम और उसके कोई भी वैधानिक संशोधन इस खंड के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे।

इस खंड के आधार पर यह तर्क दिया गया कि 2015 का संशोधन अधिनियम मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा जो

संशोधन अधिनियम ने इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ा कि 2015 के संशोधन अधिनियम के प्रावधान मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे। यह उक्त अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के संदर्भ में शुरू किया गया जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों। चाहे आवेदन मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए लंबित था या अस्वीकृति के मामले में कोई दावा नहीं था क्योंकि उस मामले में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थ के परिवर्तन/प्रतिस्थापन सहित कोई दावा नहीं था, यह 2015 के संशोधन के प्रावधान को लागू करने के लिए किसी भी कानूनी प्रभाव का नहीं माना गया था। जबकि एस. पी. सिंगला और परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मध्यस्थता के विषय पर राय दी।

कार्यवाही, हम यहाँ नोट कर सकते हैं कि मामला धारा 34 से संबंधित है

पुरस्कार को अलग रखने के लिए कार्यवाही। इस मामले में, धारा 34 की कार्यवाही 2015 के संशोधन अधिनियम से पहले ही शुरू हो चुकी थी। प्रभाव में आया। अदालती कार्यवाही पहले से ही 2015 से पहले की कानूनी स्थिति के अधीन थी। उपरोक्त के संदर्भ में, आम तौर पर शब्दों वाले खंड जैसे कि निपटान विलेख के खंड 9 को उस विधि के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए एक समझौते का गठन करने के लिए नहीं कहा जा सकता है जिसके अधीन धारा 34 की कार्यवाहियां थीं। हम यह भी नोट कर सकते हैं कि एबीबी इंडिया लिमिटेड में दिल्ली उच्च न्यायालय का एक विद्वान एकल न्यायाधीश बनाम। भारत

हेवी इलेक्ट्रिकल्स Ltd.[13] 13, परमार में फैसले का जिक्र करते हुए

1 0 (2019) 15 एससीसी 682।

ऊपर

12 ऊपर 13 ओएमपी (टी) (कॉम) No.48/2020 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कंस्ट्रक्शन कंपनी 1 4 मामला, थिसेन में फैसले को अलग करते हुए इस अदालत की टिप्पणियों के अनुसार आगे बढ़ा है। स्टालुनियन जी. एम. बी. एच. 1 5. नए अधिनियमों के पूर्वानुमान के संदर्भ में जो अमल में आ सकते हैं, यह राय दी गई थी कि जबकि थिसेन स्टालुनियन

जी. एम. बी. एच. 1 उक्त अधिनियम की धारा 85 (2) (ए) से संबंधित है, यह प्रावधान 2015 के संशोधन अधिनियम की धारा 26 के समान नहीं है। धारा 26 एक नकारात्मक वाचा के साथ शुरू होती है जो पक्षों के बीच एक समझौते के मामले में एक अपवाद के अधीन है, जबकि थिसेन स्टालुनियन जीएमबीएच 1 7 में टिप्पणियों को उक्त अधिनियम की धारा 85 (2) (ए) द्वारा रंगीन किया गया था जो अलग तरह से संरचित है। हम केवल अपनी अभेद्यता देने के लिए उसी का उल्लेख करते हैं। एबीबी इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

" 71. इसके अलावा, थिसेन स्टालुनियन जी. एम. बी. एच. में, कोई नहीं था

2015 के संशोधन अधिनियम की धारा 26 के समान प्रावधान, जो वर्तमान मामले में विवाद के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में खंड की संरचना में अंतर करना आवश्यक है। 85 (2) (क) 1996 के अधिनियम की, 2015 के संशोधन अधिनियम की धारा 26 के साथ। जबकि 1996 के अधिनियम की धारा 85 (2) (ए) ने अन्य बातों के साथ-साथ 1940 के अधिनियम को मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू किया जो शुरू हुई थी।

1996 के अधिनियम के लागू होने से पहले, जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो। 2015 के संशोधन अधिनियम की धारा 26 एक नकारात्मक वाचा के साथ शुरू होता है, इस प्रभाव के लिए कि 2015 के संशोधन अधिनियम में कुछ भी शामिल नहीं है-जिसमें सम्मिलन शामिल होगा

1996 के अधिनियम की धारा 12 (5)-मध्यस्थता पर लागू होगी 2015 के संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले यानी 23 अक्टूबर, 2015 से पहले कार्यवाही शुरू हुई। यह नकारात्मक वाचा समझौते के मामले में एक अपवाद के अधीन थी, अन्यथा, पक्षों द्वारा। इसलिए, संरचनात्मक और वैचारिक रूप से, 2015 के संशोधन अधिनियम की धारा 26 मौलिक रूप से 1996 के अधिनियम की धारा 85 (2) (ए) से अलग है, और इसलिए, इसकी आवश्यकता है:

इस भेद को ध्यान में रखते हुए व्याख्या की गई। 31. हम ध्यान दे सकते हैं कि सांगयोंग में तर्क की रेखा

इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड 18 1 8 स्वयं यह दर्शाता है कि कानून में किसी भी अनिश्चितता को रोकने के लिए, कानून को ठीक करने की कोशिश करते हुए

14 ऊपर

15 ऊपर

16 ऊपर 17 ऊपर

18 उपर्युक्त रत्नम सुदेश आयर बनाम। जैकी काकूभाई श्राफ [संजय किशन कौल, जे.]

पुरस्कारों में हस्तक्षेप के दायरे को सीमित करने के लिए विधायिका ने संशोधनों को लागू करने का एक सचेत निर्णय केवल उस तारीख से लिया जब वे लागू हुए थे। इस प्रकार, अधिनियम में किसी भी संशोधन को शामिल करने का प्रयास करने वाले खंड के सामान्य वाक्यांश का उपयोग जांच के दायरे को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकेगा क्योंकि यह संशोधन अधिनियम की धारा 26 के विधायी इरादे के विपरीत प्रतीत होता है। में।

इस संबंध में 2015 के संशोधन अधिनियम से पहले मध्यस्थता पुरस्कारों को अलग रखने के आधार के रूप में 'सार्वजनिक नीति' के दायरे से संबंधित स्यांगोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (उपर्युक्त) में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित हो सकता है:

24. "सार्वजनिक नीति" वाक्यांश का एक और विस्तार

भारत "1996 के अधिनियम की धारा 34 में निहित पश्चिमी गेको [ओ. एन. जी. सी. बनाम.] मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय द्वारा था। वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) 9 एस. सी. सी. 263: (2014) 5 एस. सी. सी. (सी. वी.) 12],

जिसे एसोसिएट बिल्डर्स [एसोसिएट] में समझाया गया था बिल्डर्स वी। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204]

निम्नलिखित है: (एससीसी पीपी। 73-77 , पैरा 28-34)

" 28. हाल के एक फैसले में, ओ. एन. जी. सी. बनाम. वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड [ओ. एन. जी. सी. बनाम. वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) 9 एस. सी. सी. 263:

(2014) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 12], इस न्यायालय ने तीन अन्य विशिष्ट और मौलिक न्यायिक सिद्धांतों को जोड़ा जो आवश्यक हैं।

मूल नीति के एक भाग के रूप में समझा जाए भारतीय कानून। न्यायालय ने कहा: (एससीसी पीपी। 278-80 , पैरा 35 & 38-40)

[.....]

29. यह स्पष्ट है कि "न्यायिक दृष्टिकोण" का न्यायिक सिद्धांत यह माँग करता है कि निर्णय निष्पक्ष, उचित और उद्देश्यपूर्ण हो। विपरीत पक्ष पर, कुछ भी मनमाना और सनकी स्पष्ट रूप से एक दृढ़ संकल्प नहीं होगा जो या तो होगा

निष्पक्ष, उचित या उद्देश्यपूर्ण।

30. ऑडी अल्टरम पार्टेम सिद्धांत जो निस्संदेह भारतीय कानून में एक मौलिक न्यायिक सिद्धांत है, मध्यस्थता और सुलह की धारा 18 और 34 (2) (ए) (iii) में भी निहित है।

एक्ट करें। ये खंड इस प्रकार हैं:

19 ऊपर

[2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

'18 . पक्षों के साथ समान व्यवहार। पक्षकारों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और प्रत्येक पक्षकार को अपना मामला प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

34. मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन। — (1)

*

*

*

(2) एक मध्यस्थता पुरस्कार केवल अदालत द्वारा अलग किया जा सकता है।

अगर

(क) आवेदन करने वाला पक्ष इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि

***

(iii) आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ या मध्यस्थ की नियुक्ति की उचित सूचना नहीं दी गई थी।

मध्यस्थता कार्यवाही या अन्यथा अपने पेश करने में असमर्थ था

मामला; '

31. तीसरा न्यायिक सिद्धांत यह है कि एक ऐसा निर्णय जो विकृत या इतना तर्कहीन है कि कोई भी उचित व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा।

उसी पर पहुंचना महत्वपूर्ण है और कुछ हद तक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यह तय किया गया कानून है कि कहाँ:

((i) कोई निष्कर्ष बिना किसी साक्षय के आधारित है, या

((ii) एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण कुछ ध्यान में रखता है।

जिस निर्णय पर वह आता है, उससे अप्रासंगिक; या

((ग) अपने निर्णय पर पहुँचने में महत्वपूर्ण साक्षय की उपेक्षा करता है, जैसे -

निर्णय अनिवार्य रूप से विकृत होगा। "

तथ्यात्मक विश्लेषण:

32. हमने उपरोक्त दो कानूनी मुद्दों पर विचार किया है जो वर्तमान मामले को नियंत्रित करेंगे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि

2015 से पहले की कानूनी स्थिति प्रबल होगी। यह स्थिति होने के कारण, हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या उस कानूनी स्थिति के संदर्भ में

यह कहा जा सकता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ ने पुरस्कार को रद्द करने में गलती की।
33. इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्यस्थ को साक्षय दर्ज करने और तथ्यात्मक परिदृश्य की जांच करने का प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। वर्तमान में

मामला वह है जो पूरी तरह से रत्नम सुदेश बनाम के खिलाफ एक खंड की व्याख्या पर आधारित है।

जैकी काकूभाई श्राफ [संजय किशन कौल, जे.]

एक विवाद की पृष्ठभूमि जिसने निपटान विलेख को जन्म दिया। हमने प्रासंगिक खंडों को पुनः प्रस्तुत किया है जो इस बात पर जोर देंगे कि प्रतिवादी को निपटान विलेख के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए विवाद में अपनी स्थिति से कुछ कदम पीछे हटने की आवश्यकता थी।

34. इस तरह का पहला कदम ईओडब्ल्यू के समक्ष अपीलार्थी और अन्य सभी नामित और अनाम व्यक्तियों के खिलाफ सभी शिकायतों और कार्यवाही को वापस लेना था। प्रत्यर्थी ने इसका पालन किया और ऐसी सभी कार्यवाहियों को समाप्त कर दिया गया। 15 लाख अमेरिकी डॉलर एस्क्रो में रखे गए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कार्यवाही समाप्त हो जाए और उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने पर एस्क्रो राशि प्रतिवादी को जारी की जानी थी।

35. दूसरा चरण शेयरों की बिक्री का था और 20 लाख अमेरिकी डॉलर की एस्क्रो राशि का भुगतान प्रत्यर्थी को किया जाना था जब

शेयर बेचे गए। ऐसा प्रतीत होता है कि शेयरों की बिक्री में कुछ देरी हुई थी, जिस पर प्रत्यर्थी की पत्नी ने आपत्ति जताई थी और अपीलार्थी ने दावा किया कि उसे जल्दी बिक्री में नहीं धकेला जा सकता था। जो भी हो, बिक्री हुई। इस प्रकार, निपटान विलेख की आवश्यक शर्तों को पूरा किया गया। इस संदर्भ में हमें विचार करना होगा कि क्या खंड 6 लागू होगा, ताकि प्रत्यर्थी को उन लाभों से वंचित किया जा सके जो दो गुना थे, अर्थात, शिकायतों और मुकदमों पर रोक लगाने और रोकने के लिए मौद्रिक लाभ, और शेयरों की बिक्री से प्राप्त आय जो उसके स्वामित्व में थे। खंड 6 में प्रतिवादी के अभ्यावेदन/आश्वासन गलत या गलत होने की स्थिति में 15 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि की वापसी का प्रावधान किया गया है। बात ऐसी नहीं थी। एकमात्र पहलू जिस पर अपीलार्थी ने एक कारण के रूप में जोर दिया प्रत्यर्थी को उसका बकाया देने से इनकार करने के लिए उसकी पत्नी द्वारा भेजे गए दो ई-मेल हैं। हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि हालाँकि पत्नी को शुरू में उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत कार्यवाही में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में उसे मध्यस्थता कार्यवाही से हटा दिया गया क्योंकि वह दिनांक 06.08.2012 के सहमति आदेश के अनुसार समझौते में पक्षकार नहीं थी। एक तरह से समझौता स्वीकार कर लिया गया

कि प्रत्यर्थी की पत्नी की कोई भूमिका नहीं थी और प्रत्यर्थी को उसके आचरण के लिए दंडित नहीं किया जा सकता था। 36. हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि नीचे दिए गए न्यायालयों के साथ जो बात भारी पड़ी है वह यह है कि प्रत्यर्थी ने अपनी पत्नी के ई-मेल की पुष्टि करने के लिए कुछ नहीं किया। पुरस्कार का प्रभाव प्रत्यर्थी को शेयरों के उचित मूल्यांकन और अपनी शिकायतें लाने के लिए उसे दिए गए भुगतान से वंचित करना होगा।

एक अंत तक।

37. यहां तक कि अगर हम पत्नी की शिकायतों की ओर मुड़ते हैं, तो वे किसी अंधाधुंध भाषा की श्रेणी में आते हैं। 09.06.2011 दिनांकित ई-मेल अपीलार्थी को इस बारे में शिकायत करता है कि सौदे की अवधि पत्रक पर हस्ताक्षर किए जाने के बारे में सूचित नहीं किया जा रहा है और इस अभिव्यक्ति का उपयोग करता है कि अपीलार्थी "हमारे साथ सीधे" नहीं था। " इस पर शायद ही कोई आपत्ति कर सकता है। बेशक, यह उनके सहयोगियों को प्रसारित किया गया था लेकिन ई-मेल को शायद ही नुकसानदेह कहा जा सकता है। यदि हम दिनांकित 15.06.2011 ई-मेल की ओर मुड़ते हैं, तो एक बार फिर, अद्यतन नहीं दिए जाने के बारे में शिकायत की जाती है। निश्चित रूप से, वाक्य "मुझे जालसाजी के साथ दोस्ती करने की कोई इच्छा नहीं है"। इसे पूरी तरह से अनुचित कहा जाना चाहिए। लेकिन फिर, वह केवल अपनी पत्नी द्वारा इस तरह के अंधाधुंध ई-मेल के कारण प्रत्यर्थी को अपने बकाया से इनकार नहीं कर सकता है, जो कार्यवाही में पक्षकार भी नहीं थी और न ही समझौते के विलेख में पक्षकार थी जिसमें मध्यस्थता खंड शामिल था। यह उपरोक्त संदर्भ में है कि विवादित आदेश दिए गए हैं और हम विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के पैरा 23 को निकालना उचित समझते हैं जो संक्षिप्त रूप से निर्धारित करता है कि पुरस्कार के परिणाम के परिणाम क्या होंगे।

" 23. जब हम इस मामले में इसके विचित्र परिणाम को देखते हैं, तो भ्रांति की सीमा को बेहतर तरीके से महसूस किया जा सकता है। प्रत्यर्थी को व्यावहारिक रूप से वह सब कुछ मिला जो वह चाहता था

बाद वाले को यू. एस. डी. 3,500,000 के भुगतान के बदले में याचिकाकर्ता। उन्होंने ई. ओ. डब्ल्यू. की शिकायत वापस ले ली; उन्होंने याचिकाकर्ता से एटलस शेयरों की बिक्री के लिए एस. सी. बी. को मूल प्लेसमेंट निर्देश की पुष्टि करने और ग्रैंडवे को विचार करने के लिए कहा; उन्हें शेयरों की बिक्री के लिए अपने नाम पर एक अपरिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी मिला।

याचिकाकर्ता से एटलस का; उसने अपने, अपनी पत्नी और एटलस और ग्रैंडवे और उनके खिलाफ याचिकाकर्ता के सभी दावे प्राप्त कर लिए।

शेयरधारकों को रिहा कर दिया गया; उन्हें एटलस बोर्ड से याचिकाकर्ता का इस्तीफा मिल गया; उन्हें एटलस शेयरों की बिक्री और हस्तांतरण के लिए याचिकाकर्ता से एक समझौता और अपरिवर्तनीय सहमति मिली; उन्हें लाभांश के लिए याचिकाकर्ता से एक समझौता या सहमति मिली। एटलस का वितरण और समापन बोर्ड और अन्य शेयरधारकों द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके से किया जाता है और उन्हें याचिकाकर्ता द्वारा उनके या उनके परिवार के सदस्य या उनके शेयरधारकों के खिलाफ किसी भी दावे की पुष्टि नहीं मिली। और यह सब करने के बाद, उसे अपना USD 3,500,000 का पूरा पैसा भी वापस मिल जाता है। और वह इसलिए कि याचिकाकर्ता की पत्नी उसे निजी तौर पर 'जालसाज' कहती है।

कुछ परिचित लोगों या सहयोगियों के साथ किया गया संवाद। क्या इस तरह के पुरस्कार को कभी भी एक निष्पक्ष और रत्नम सुदेश अय्यर बनाम के रूप में बनाए रखा जा सकता है?

जैकी काकूभाई श्राफ [संजय किशन कौल, जे.]

विवेकपूर्ण दिमाग वाला व्यक्ति ऐसा कर सकता था। मेरी विनम्र राय में, यह न्याय के बिल्कुल विपरीत है; यह न्याय का उपहास होगा

इस तरह के पुरस्कार को बनाए रखें।

38. उपरोक्त परिदृश्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और यह वही है जो पूर्व निर्णय पर लागू कानूनी स्थिति के संदर्भ में विद्वान मध्यस्थ के निर्णय में हस्तक्षेप के लिए जिम्मेदार रहा है। संशोधन। हम पाते हैं कि मध्यस्थ के निष्कर्ष भारतीय कानून की मौलिक नीति के अनुसार नहीं हैं, और इस प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 34 की 2015 से पहले की व्याख्या के तहत अलग रखे जा सकते हैं। हम यह भी नोट कर सकते हैं कि निपटान विलेख के खंड 6 पर अपीलार्थी के पक्ष में परिसमापन हर्जाना देने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था, हम एकल न्यायाधीश और प्रभाग की टिप्पणियों से सहमत हैं।

इस संबंध में बेंच। वास्तव में, परिणाम इतने अनुचित हैं कि यही कारण प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ दोनों ने राय दी है कि संशोधन से पहले या बाद में जो भी स्थिति लागू होती है, इन तथ्यों में पुरस्कार नहीं होगा।

खड़े रहें, कुछ ऐसा जिसके साथ हम सहमत हैं।

निष्कर्ष:

39. उपरोक्त चर्चा के संदर्भ में हम विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के फैसले में इस हद तक दोष नहीं पा सकते हैं कि यह निर्णय में हस्तक्षेप करता है और निर्णय को रद्द कर देता है। नतीजतन, अपील को लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

याचिका

खारिज कर दी गई।

निधि जैन